सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

NOTARIAL NOTARIAL

Certificate No.	:	IN-UK61855142891015Q
Certificate Issued Date	:	12-Apr-2018 02:52 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1219904/ MUSSORIE/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK121990424712503607778Q
Purchased by	:	TRILOK SINGH KHAROLA
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	TRILOK SINGH KHAROLA
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	TRILOK SINGH KHAROLA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

उमा गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०7
कोर्ट कम्पाउण्ड, मसूरी

Please write or type below this line

NOTARY
RAM DAYAL
MUSSOORIE
UTTARAKHAND INDIA

T. S. Kharola

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शपथपत्र

समक्ष :– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, जनपद देहरादून।

मैं/हम **त्रिलोक सिंह खरोला पुत्र स्व0 धाम सिंह खरोला निवासी टिहरी बस स्टेण्ड लन्ढौर बाजार, मसूरी जिला देहरादून उत्तराखण्ड** घोषणा करता हूँ /करती हूँ/करते है कि:–

1– यह कि मेरा/हमारा उपरोक्त नाम व पता सही व सत्य है।

2– यह कि मै/हम अपने आवसीय भवन स्थित पता **टिहरी बस स्टेण्ड लन्ढौर बाजार, मसूरी** में स्वंय के उपयोग के अतिरिक्त अवस्थित आवासीय अतिरिक्त कक्षो–03 (कक्षो की संख्या) को अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास होम स्टे नियमावली के अन्तर्गत पजीकरण करने के इच्छुक है।

3– यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा/हमारा स्वंय का है, जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगडा विवाद नही है।

4– यह कि मेरे/हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन /भवन निर्माण के सम्बन्ध मे कोई वाद नही है, अथवा भवन प्रधिकरण/स्थानीय निकायो के गठन से पूर्व का निर्मित है, जिस कारण मानाचित्र नही है/स्वीकृत नही है। भवन हैरिटिज दृष्टि से पर्यटकों हेतु उपयोगी है।

उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं/हम इसके लिए स्वंय जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी/होंगे। ऐसी स्थिति में मेरा/हमारा इस योजना अन्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।

5– यह कि मेरे/हमारे द्वारा अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 (प्रथम संशोधन नियमावली 2016) तथा समय–समय पर जारी संशोधनो में किये गये प्राविधानों/नियमों/उपनियमों/शर्तों को भलि–भांति पढ़ लिया गया है, जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से बांध्य होऊंगा/होऊंगी/होंगे।

– घोषणा –

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं कोई तथ्य छुपाया नही गया है, यदि इसमे कोई भी तथ्य झूठा पाया जाये तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। ऐसी स्थिति मे मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नही होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनांक **12–04–2018** को मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गई शपथ पत्र की सभी शर्ते सही व सत्य होने का कबुल करता हूँ/करती हूँ/ करते हैं।

T. S. Kharola

त्रिलोक सिंह खरोला